


फर्द अहकाम

घासीराम वगै० बनाम बाबूलाल वगै०

ख्या: 18/10/2023 5191

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.10.2023	<p>वकील वादीगण ने दावा बाबत् बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम एवं 111 एवं 128 भूमि राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर 18/10/23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	<p>नोटिस नं० 5344+5354 2-11-23</p>
15/11/23	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19/11/23 को पेश हो। 1</p>	
19/11/23	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/12/23 को पेश हो। 2</p>	
14/12/23	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/3/24 को पेश हो। 1</p>	
13/3/24	<p>पत्रावली वादीगण की ओर से प्रेषण बाबत वाद पत्र को निजो निजो जाने का पेश कबल तलब नौजदो वादीगण को प्रेषण पर आया गया वादीगण का प्रेषण स्वीकार कर वादीगण को वाद निजो करने की आज्ञा दी जाती है एवं वादीगण का वाद इसी स्तर पर निजो आवेदन के आधार पर शरिखी सिद्धजांच के पत्रावली किसव शृंगार होकर एवं नरो से का होकर वादीगण दाखिल दफ्तार हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	<p>नि. घासीराम</p>  <p>नि. मंगलराम</p>